भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6199

(दिनांक 01.04.2026 को उत्तर देने के लिए)

प्रकाशन और प्रसारण संबंधी उल्लंघनों की शिकायतें

6199. श्री कल्याण बनर्जीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विभिन्न मीडिया द्वारा हिंसा/अश्लीलता के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित प्रसारण/टेलीकास्टिंग/ऐप सामग्री के प्रकाशन के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान ऐसे उल्लंघनों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इंटरनेट/प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया में बढ़ते हिंसक/विषाक्त संस्कृति की सामग्री के समाज पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया है जो युवाओं और किशोरों को प्रभावित कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी सामग्री विशेषकर सोशल मीडिया, इंटरनेट, ऐप के माध्यम से बहुत से पाठकों/दर्शकों की हो रही मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): प्राइवेट टेलीविजन चैनलों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन करना आवश्यक है। कार्यक्रम संहिता के अनुसार, ऐसे किसी भी कार्यक्रम का प्राइवेट टेलीविजन चैनलों पर प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए जिनमें निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की सामग्री शामिल हो:

- अश्लीलता
- धर्मों या समुदायों पर आक्रमण
- धार्मिक समूहों के प्रति अवमाननापूर्ण दृश्य या शब्द
- साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाली सामग्री
- ऐसी सामग्री जो किसी व्यक्ति विशेष या कुछ समूहों अथवा देश के सामाजिक, सार्वजनिक और नैतिक जीवन के खंडों की आलोचना, बदनामी या मानहानि करती हो

इसके अतिरिक्त, विज्ञापन संहिता अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित करती है कि सभी विज्ञापनों में अशोभनीय, अश्लील, संकेतात्मक, घृणास्पद तथा आपत्तिजनक विषयों या प्रस्तुति से बचा जाएगा।

केंद्रीय सरकार ने कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन से संबंधित परिवेदनों/शिकायतों के निवारण हेतु एक सांविधिक तंत्र भी स्थापित किया है। तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के अनुसार, प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित किसी भी शिकायत का निपटान निम्नानुसार किया जाता है:

- स्तर-I: प्रसारक द्वारा सीधे प्राप्त और निस्तारित की जाती है
- स्तर-II: प्रसारकों के स्व-विनियामक निकाय
- स्तर-III: केंद्रीय सरकार द्वारा निगरानी तंत्र का प्रावधान

सरकार प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों के विरुद्ध एडवाइजरी, चेतावनी, अपॉलोजी स्क्रोल आदेश तथा ऑफ-एयर आदेश आदि जारी करके कार्रवाई करती है। मंत्रालय समय-समय पर प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के पालन हेतु एडवाइजरी भी जारी करता है।

पिछले 5 वर्षों में कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.स.	**विवरण**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**कुल**
1	विशिष्ट चैनलों को एडवाइजरी	5	7	14	3	6	**35**
2	चेतावनियाँ	25	6	17	1	1	**50**
3	अपॉलोजी स्क्रोल हेतु आदेश	11	39	3	-	1	**54**
4	ऑफ-एयर आदेश	-	-	3	-	-	**3**
5	अनुमति निरस्तीकरण	1	-	-	-	-	**1**
6	अस्वीकरण हेतु आदेश	1	-	-	-	-	**1**
	कुल	**43**	**52**	**37**	**4**	**8**	**144**

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार अन्य मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा किए जाने वाले उल्लंघनों को रोकने के लिए सभी संभव कदम उठाती है, जिनमें शामिल हैं:

• प्रिंट मीडिया: समाचार पत्रों को भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई) द्वारा जारी "पत्रकारिता के आचरण के मानक" का पालन करना होता है। ये मानक, अन्य बातों के साथ-साथ फर्जी/मानहानिकारक/भ्रामक समाचारों के प्रकाशन को प्रतिबंधित करते हैं। परिषद्, पीसीआई अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, कथित उल्लंघनों की जांच करती है और आवश्यकतानुसार समाचार पत्रों, संपादकों, पत्रकारों आदि को चेतावनी दे सकती है, फटकार सकती है या निंदा कर सकती है।

• डिजिटल मीडिया: डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों तथा ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशकों के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) में एक आचार संहिता और इसके साथ-साथ ऐसे प्रकाशकों द्वारा इस आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु तीन-स्तरीय संस्थागत तंत्र का प्रावधान किया गया है।
